Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में अपहरण की घटना कारित करने के आरोपी अनुज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त अनुज पुत्र मुकेश निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 111/20 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनुज को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनुज को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

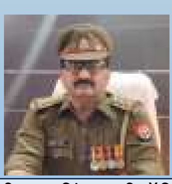

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री नरेन्द्र पंवार एडीजीसी

उ0नि0 श्री कैलाश नाथ विवेचक

का0 विनय कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना बिनौली   दिनाँक 24.07.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 222/26 धारा 316(2)/351(3)/108 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.07.2026 को थाना बिनौली पर वादी वीरेन्द्र सिंह पुत्र दिलावर निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 01 अभियुक्ता व 2. दिलशान पुत्र नामालूम

निवासीगण नंगला रंवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा उसके पुत्र विकास कुमार जो लोन कराने का काम करता था, से 01 लाख रूपये लेकर वापस नहीं किए तथा वापस माँगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर प्रताडित किया । अभियुक्तगण की प्रताडना से तंग आकर उसके पुत्र विकास कुमार उपरोक्त के द्वारा पंखे से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 222/26 धारा 316(2)/351(3)/108 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 222/26 धारा 316(2)/351(3)/108 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01 महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री सुखपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-म0का0 336 पुष्पा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 24.07.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 158/26 धारा 105/3(5) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटनास्थल से 02 सिरिंज, 01 निडिल, 02 सिरिंज रैपर, 01 खाली डिब्बी पैनाबिल व 01 बीयर का कटा हुआ कैन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 16.07.2026 को थाना छपरौली पर वादी हरेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. राहुल पुत्र महावीर, 2. निसार पुत्र महमूद, 3.दीपक पुत्र तेजपाल, 4. शुभम पुत्र संजीव निवासीगण ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा उसके पुत्र विक्रान्त उर्फ जोनी की घर से बुलाकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियोग को धारा 103(1) बीएनएस से धारा 105 में तरमीम किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 158/2026 धारा 105/3(5) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदेही पर घटनास्थल से 02 सिरिंज, 01 निडिल, 02 सिरिंज रैपर, 01 खाली डिब्बी पैनाबिल व 01 बीयर का कटा हुआ कैन बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र महावीर निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-निसार पुत्र महमूद निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **निशांदेही पर घटनास्थल से 02 सिरिंज, 01 निडिल, 02 सिरिंज रैपर, 01 खाली डिब्बी पैनाबिल व 01 बीयर का कटा हुआ कैन।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना छपरौली।

2-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली।

3-है0का0 440 राशिद खान थाना छपरौली।